गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
गौतम बुद्ध नगर

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की अठाईसवीं बैठक दिनाँकः 08 जुलाई 2021 को प्रातः 10:00 बजे सम्पन्न हुई। मा0 कुलपति महोदय का स्वस्थ्य अचानक खराब होने के कारण वरिष्ठ प्रो0 प्रदीप कुमार यादव के द्वारा अध्यक्षता की गई। बैठक में अधोलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

शिक्षा सोसाइटी द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य

1. **प्रो0 एन0 के0 तनेजा** .... सदस्य
   कुलपति
   चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
   मेरठ।

2. **प्रो0 अरूण भगत** .... सदस्य
   सदस्य बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं
   प्रोफेसर
   मीडिया अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
   पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर
   मोतिहारी – 845401 (बिहार)

   (ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुए)

प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा नामनिर्देशिती सदस्य;

3. **प्रो0 विवेक कुमार** .... सदस्य
   प्रोफेसर
   भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
   नई दिल्ली

   (ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुए)

विश्वविद्यालय के आचार्य/अधिष्ठाता/प्रभारी अधिष्ठातागण

4. **प्रो0 एन.पी मेलकानियाँ** .... सदस्य
   प्रोफेसर
   अधिष्ठाता शैक्षिक
   अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एण्ड एप्लाईड साइंसेज
   गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

5. **प्रो0 श्वेता आनन्द** .... सदस्य
   प्रोफेसर
   अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
   गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

6. **डा0 नीती राणा,** .... सदस्य
   एसोशिएट प्रोफेसर
   प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ हयुमैनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज,
   अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बुद्धिष्ट स्टडीज एण्ड सिविलाईजेशन
   गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

08/07/21

7. **डा0 सीमा द्विवेदी** .... सदस्य
एसोशिएट प्रोफेसर
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बायोटैक्नोलोजी
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

(ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुईं)

8. **डा0 मनमोहन सिंह सिसौदियॉ** .... सदस्य
इंचार्ज, अधिष्ठाता छात्र कल्याण
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

9. **डा0 कृष्णकांत द्विवेदी**
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ लॉ, जस्टिस एण्ड गवर्नेस
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशिती सदस्य

10. **प्रो0 प्रदीप कुमार यादव** .... सदस्य
प्रोफेसर
अधिष्ठाता, शोध एवं नियोजन
अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग

11. **प्रो0 संजय कुमार शर्मा** .... सदस्य
प्रोफेसर
अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ आई0सी0टी0
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

12. **प्रो0 वन्दना पाण्डेय** .... सदस्य
प्रोफेसर, स्कूल ऑफ हयुमैनिटीज एण्ड सोशल साइंसेस
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

औद्योगिक विकास विभाग के प्रतिनिधि

13. **श्रीमती नेहा शर्मा,** .... सदस्य
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश शासन।

14. **डा0 विश्वास त्रिपाठी** .... सचिव
कुलसचिव
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय।

जो सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके:

शिक्षा सोसाइटी द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य

15. **प्रो0 बीर सिंह** .... सदस्य
प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ।

:: कार्यवाही का विवरण ::

मा0 कुलपति महोदय का स्वस्थ्य अचानक खराब होने के कारण वरिष्ठ प्रो0 प्रदीप कुमार यादव के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। बोर्ड के मा0 सदस्यों के स्वागत के साथ प्रबन्ध बोर्ड की बैठक आरम्भ हुई।

28.21.01 प्रबन्ध बोर्ड की सत्ताईसवीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँक 24 जनवरी, 2021 को सम्पन्न हुई सत्ताईसवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

28.21.02 प्रबन्ध बोर्ड की सत्ताईसवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही का विवरण।

विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की दिनाँक 24 जनवरी, 2021 को सम्पन्न हुई सत्ताईसवीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही के विवरण को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।

28.21.03 विद्या परिषद की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विद्या परिषद् की दिनाँक 14 जून, 2021 को सम्पन्न हुई उन्नीसवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

28.21.04 वित्त समिति की 22वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

वित्त समिति की दिनाँक 15 मार्च, 2021 को सम्पन्न हुई बाईसवीं बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

28.21.05 विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों में आवश्यकतानुसार नये विभागों के गठन पर विचार एवं अनुमोदन।

बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा निम्नानुसार नये विभागों का गठन

1. **School of Buddhist Studies & Civilization**
   (i) Department of Buddhist Studies.
   (ii) Department of Pali.
2. **School of Law, Justice & Governance**
   (i) Department of Legal Research and Planning

किये जाने से पहले इसे सम्बन्धित स्कूल के बोर्ड ऑफ स्टडीज एवं विद्या परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु तथा तदउपरान्त प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

28.21.06 विश्वविद्यालय में कार्यरत रिसर्च/फैकल्टी एसोसिएट के शैक्षिक भविष्य एवं विश्वविद्यालय के व्यापक हित में कार्ययोजना हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार एवं निर्णय।

बोर्ड के मा0 स्दस्यों के द्वारा रिसर्च/फैकल्टी एसोशिएटों के शैक्षिक भविष्य एवं विश्वविद्यालय के व्यापक हित में शिक्षण एवं अनुसंधान को सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत एक कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु कार्यालय आदेश संख्या जी.बी.यू.–002/प्रशा./2. 1/2021–4866 दिनाँक 17 मार्च, 2021 के माध्यम से गठित त्रि सदस्यीय समिति सस्तुतियाँ को विचारोपरान्त निम्नानुसार अनुमोदित किया गया।

5. The contribution of RAS/FAs has been recognized by the GBU in teaching and research. In the changing scenario of higher education (HE) in the country and meeting the global standards in HE, the Committee recommends the following for strengthening teaching and research in the GBU, and career opportunies of the RAS/FAs in the wider interest:

5.1 **The Cader of RAS/FAs may be re-named as Assistant Professor (on contract).**

The re-naming will be advantageous for:

5.1(a) **The GBU-** as the RAS/FAs can also be counted under faculty strength for academic and institutional assessments by agencies, such as, NAAC.

5.2(b) **The RAS/FAs** will have an elevated status, thus, serve the University with more professional concern and enthusiasm. In this way, the GBU is also benefitted functionally.

5.1(c) **The RAS/FAS:** The contribution of RAS/FAs as Assistant Professor (on Contract) will be counted/ valued by the Indian Universities towards service experience for selection as Assistant Professor on regular basis as permanent position.

5.1(d) **The RAS/FAS and the GBU-** in doing so, the teaching and research in the GBU will get boost, as the RAS/FAs will be able to submit research project (s) to different sponsoring agencies, either individually or jointly with the permanent faculty of the GBU in disciplinary/ interdisciplinary mode.

5.2 **The duration of the contract may be considered as three years.** This may be extended for three years and so further (as against year-to-year basis), on satisfactory performance following the coded necessities of the GBU.

In this way, the academic fragility will reduce in the GBU in addition of promoting continuity of services in part of the RAS/FAs with enhanced commitment for teaching and research.

एवं समिति द्वारा रिसर्च/फैकल्टी एसोशिएट के वेतन सम्बन्धित की गई निम्नवत् संस्तुतियों को विद्या परषिद् की आगामी बैठक में विचारर्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। वेतन सम्बन्धी सस्तुतियाँ अभी लागू नही की जायेंगी।

5.3 **The consolidated pay** of the RAS/FAs may be increased to @Rs. 50,000/-p.m. (as against @Rs. 48,000/-P.M.)/@Rs. 47,000/-p.m.(as against @Rs. 45,000/-p.m.) for those who have contributed for all round development at the Department level, School level and the University level in teaching, research, project/dissertation supervision, extra-curricular and co- curricular, to name a few.

28.21.07 स्कूल ऑफ आई0सी0टी0 के RAEM (रैपिड अल्टरनेटिव एनर्जी एंड मोबिलिटी) केन्द्र हेतु संकाय सदस्यों की नियुक्ति किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा स्कूल ऑफ आई0सी0टी0 के RAEM (रैपिड अल्टरनेटिव एनर्जी एंड मोबिलिटी) केन्द्र गठन व इसमें अध्यापन कार्य हेतु बुलाये जाने वाले सम्मानित संकाय सदस्यों की सूची एवं इस पाठ्यक्रम को पढाने वाले विशेषज्ञों को धनराशि रू 2,000 रुपये से रु. 8,000 प्रति घंटा मानदेय देने व वरिष्ठ संकाय सदस्यों को पाठ्यक्रम में अध्यापन हेतु बुलाने एवं उन्हें रुपये 8,000 का मानदेय भुगतान किये जाने से पूर्व इसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किये जाने तथा पाठ्यक्रम में अध्यापन कार्य करने वालें संकाय सदस्यों को वेतन/मानदेय का भुगतान पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्रों से प्राप्त होने वाले शुल्क से ही किए जाने सम्बन्धित प्रस्ताव को संज्ञानित कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

28.21.08 **संकाय सदस्यों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराकर अनुमोदन प्राप्त करना।**

बोर्ड के मा0 सदस्यों के द्वारा संविदात्मक संकाय सदस्यों के विनियमितीकरण हेतु कार्यालय आदेश संख्या जी0बी0यू0–029/स्था0/08/2021–2949 दिनाँक 15 मार्च, 2021 के माध्यम से गठित प्रारम्भिक समिति की संस्तुतियों का अवलोकन किया गया तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश की धारा 17 में की गई व्यवस्था के क्रम में इन संकाय सदस्यों के विनियमतिकरण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नानुसार त्रि सदस्यीय समिति के गठन को अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. **म0 न्यायमूर्ति श्री राजेश टण्डन (सेवानिवृत)** .... अध्यक्ष
   मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड
2. **प्रो0 एच. डी. चरण** .... सदस्य
   पूर्व कुलपति,
   बीकानेर टैक्नीकल विश्वविद्यालय
   विश्वविद्यालय कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नीकल,
   बीकानेर, राजस्थान
3. **प्रो0 ए. के. नवीन** .... सदस्य
   निदेशक, स्कूल ऑफ लॉ
   उत्तराखण्ड ओपन विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड

28.21.09 **विश्वविद्यालय के एकेडमिक सत्यनिष्ठा (Academic Integrity) एवं अनुसंधान में प्रमाणिकता हेतु कोड ऑफ कन्डक्ट पर विचार एवं निर्णय। (प्रो0 ए0 के0 तनेजा द्वारा प्रस्ताव को कोड ऑफ कन्डक्ट बनाये जाने हेतु समिति के गठन पर विचार एवं निर्णय किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।)**

बोर्ड के मा0 सदस्यों के द्वारा विश्वविद्यालय में किए जाने वाले अनुसन्धानों व प्रकाशनों में उच्च सत्यनिष्ठा व प्रमाणिकता बनाये रखने तथा "एकेडमिक सत्यनिष्ठा (Academic Integrity) एवं अनुसंधान में प्रमाणिकता के लिए एक कोड ऑफ कन्डक्ट बनायें जाने

हेतु निम्नानुसार त्रि सदस्यीय समिति के गठन को अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

1. **प्रो0 एन.पी मेलकानियाँ,** ...... अध्यक्ष
अधिष्ठाता, शैक्षणिक ..

2. **डा0 के0 के0 द्विवेदी** ...... सदस्य
प्रभारी अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ लॉ, जस्टिस एण्ड गवर्नेंश

3. **डा0 सिया राम** ...... सदस्य
अिसिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ बायोटैक्नोलॉजी

साथ ही बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि यह समिति एकेडमिक सत्यनिष्ठा (Academic Integrity) एवं अनुसंधान में प्रमाणिकता हेतु कोड ऑफ कन्डक्ट तैयार कर सक्षम अधिकृति को प्रस्तुत करेगी। सक्षम अधिकृति स्वविवेक पूर्वक इसकी समीक्षा कर उसे लागू किए जाने का आदेश प्रसारित करेगा साथ ही इस कोड ऑफ कण्डक्ट में परिष्कारात्मक कार्यवाही की रूपरेखा व पद्धति भी निरूपित की जाएगी।

28.21.10 **विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मुद्दों के सम्बन्ध में सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग के सम्बंध में कोड ऑफ कन्डक्ट पर विचार एवं निर्णय। (प्रो0 ए0 के0 तनेजा द्वारा प्रस्ताव को कोड ऑफ कन्डक्ट बनाये जाने हेतु समिति के गठन पर विचार एवं निर्णय किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।)**

बोर्ड के मा0 द्वारा सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म पर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अधिकृत सूचनाओं का ही प्रसारण करने के लिए विश्वविद्यालय के कार्मिकों के लिए सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग हेतु कोड ऑफ कन्डक्ट बनाये जाने हेतु निम्नानुसार त्रि सदस्यीय समिति के गठन को अनुमोदन प्रदान किया गयाः

1. **प्रो0 प्रदीप कुमार यादव,** .... अध्यक्ष
अधिष्ठाता, शोध एवं नियोजन

2. **डा0 विवेक कुमार मिश्रा** .... सदस्य
असिस्टेंट प्रोफेसर,
स्कूल ऑफ हयुमैनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज

3. **डा0 दिवाकर गरवा** .... सदस्य
रिसर्च/फैकल्टी एसोशिएट
स्कूल ऑफ हयुमैनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज

साथ ही बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि यह समिति कोड ऑफ कण्डक्ट तैयार कर सक्षम अधिकृति को प्रस्तुत करेगी। सक्षम अधिकृति स्वविवेक पूर्वक इसकी समीक्षा कर उसे लागू किए जाने का आदेश प्रसारित करेगा।

28.21.11 **विश्वविद्यालय में उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु केडर अनुपात व अन्य सम्बन्धित विषयों के लिए समिति का गठन।**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय विधिज्ञ परिषद् आदि के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के एक निश्चित केडर अनुपात का निर्धारण विश्वविद्यालय के अध्यादेश, अधिनियम एवं परिनियमों के अंतर्गत किस प्रकार किया जाये इस हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति के गठन के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

28.21.12 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषयों पर विचारः

28.21.12 (1) आंतरिक शिकायत समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों एवं तदक्रम में निर्गत कारण बताओ नोटिस संख्या जी.बी.यू–002/प्रशा./2.5/2021–3103 दिनाँक 25 जून, 2021 पर विचार एवं निर्णय।

बोर्ड के मा0 सदस्यों को आंतरिक शिकायत समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों एवं तदक्रम में निर्गत कारण बताओ नोटिस संख्या जी.बी.यू–002/प्रशा./2.5/2021–3103 दिनाँक 25 जून, 2021 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा इस मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से आंतरिक शिकायत समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रो0 संजय कुमार शर्मा (सदस्य प्रबन्ध बोर्ड) को इस मद संख्या में चर्चा एवं मत देने से विरक्त रखा गया। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में डा0 संध्या तरार, सहायक आचार्या, स्कूल ऑफ आई0सी0टी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की संविदा–परिविक्षात्मक (Contract cum Probation) सेवाओं को विश्वविद्यालय के नियमानुसार तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश पारित करने के लिए कुलपति, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(डा0 विश्वास त्रिपाठी)
सचिव, प्रबन्ध बोर्ड
एवं
कुलसचिव
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

(प्रो0 प्रदीप कुमार यादव)
पीठासीन अधिकारी
अठाईसवीं प्रबन्ध बोर्ड